बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध दिनांक 26.06.2010 को मंडल कारा, सहरसा में संसीमित बंदी भूषण साह के पलायन में संलिप्तता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–2884 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा श्री राम को निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2885 दिनांक 09.07.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 4047 दिनांक 07.09.2012 द्वारा श्री राम को निलम्बन मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

3. आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1910 दिनांक 28.08.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच)–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 5419 दिनांक 15.10.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम के द्वारा दिनांक 10.11.2014 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया।

4. श्री राम दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो गयें। अतएव उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5230 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित कर दिया गया।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

" पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए "।

6. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 847 दिनांक 08.02.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 557 दिनांक 20.05.2016 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3385 दिनांक 03.06.2016 द्वारा श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

" पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए "।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 509 दिनांक 07.02.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) (7) के आलोक में संसूचित किया गया कि श्री राम को निलंबन अवधि दिनांक 09.07.2010 से 06.09.2012 के बीच जीवन निर्वाह भत्ता मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कुछ भी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा निलंबन अवधि की गणना कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि एवं पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।

9. श्री राम द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3385 दिनांक 03.06.2016 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 26.06.2010 को मंडल कारा, सहरसा के घटनोपरान्त कारा के पत्रांक 1077 दिनांक 26.10.2010 के द्वारा थाना प्रभारी, सदर थाना, सहरसा को प्रथम सूचना प्रतिवेदित किया जिसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/जिलाधिकारी, सहरसा एवं कारा महानिरीक्षक को तत्काल दी गई। कारा के पत्रांक 1078 दिनांक 26.06.2010 के द्वारा बंदी पलायन से संबंधित एक प्रतिवेदन एवं बंदी कमान कार्य करने वाले कक्षपाल,

श्री नन्द किशोर राम को निलंबित किये जाने की सूचना भी कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को दी गई। पुनः किसी दुर्भावना अथवा षड्यंत्र के तहत् मंडल कारा, सहरसा के लिपिक, श्री विकास कुमार शर्मा सह–प्रभारी कारापाल द्वारा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मामले में उन्हें दण्डित होना पड़ा।

10. श्री राम के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। श्री राम ने अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि मंडल कारा, सहरसा के तत्कालीन लिपिक–सह–प्रभारी कारापाल के द्वारा दुर्भावना अथवा षडयंत्र के तहत् उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि यद्यपि कारा हस्तक के नियम–302 के तहत् पलायन की जबावदेही कर्त्तव्य पर उपस्थित कक्षपाल/उच्च कक्षपाल की होती है लेकिन कारा हस्तक के नियम–60 एवं 61 के आलोक में कारा के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में कमी के लिए अधीक्षक जवाबदेह है। श्री राम का जबाव सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को नकारने और पलायन के बाद कृत कार्रवाई की सूचना देकर दण्ड से बचने का प्रयास है। अतः श्री राम का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

11. **उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–56/10.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(क)–56/10 1504 दिनांक– 30/3/17

प्रतिलिपिः–कारा महानिरीक्षक का गोपनीय कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ/अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा/श्री घनश्याम राम, सेवानिवृत्त काराधीक्षक, मो0+पो0–लक्ष्मी सागर, वार्ड नं0–15, जिला–दरभंगा, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, मंडल कारा, दरभंगा को निदेश है कि संकल्प का तामिला श्री राम को कराकर तामिला प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

30.3.17
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)